सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

देवनारायण योजना मार्गदर्शिका

देवनारायण योजनान्तर्गत
अति पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन,
राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

http://www.sje.rajasthan.gov.in
0141-2220258

राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नदबई

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

देवनारायण योजना मार्गदर्शिका

देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन,
राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

http://www.sje.rajasthan.gov.in
0141-2220258

Devnarayan Yojana E-Mail ID
dny.sje@rajasthan.gov.in

माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान

सत्यमेव जयते

सन्देश

यह हर्ष का विषय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं पर आधारित 'देवनारायण योजना मार्गदर्शिका' का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारतीय संविधान ने हमें ऐसे समाज की परिकल्पना दी है, जहां प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समान रूप से प्राप्त हो। नीति निर्देशक तत्व राज्य को वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने का दायित्व सौंपते हैं। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके।

अति पिछड़ा वर्ग हमारे सामाजिक ताने–बाने का अभिन्न अंग है, जिसने अपनी परंपराओं और श्रम–संस्कृति से समाज को समृद्ध किया है। देवनारायण योजना ऐतिहासिक असंतुलनों को दूर करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में समन्वित विकास का सशक्त माध्यम बन रही है। जस्टिस चौपड़ा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रारंभ यह योजना आज आत्मविश्वास, स्वाभिमान और समान अवसर का सेतु बन चुकी है।

किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब उसकी जानकारी लक्षित लाभार्थियों तक सहज और प्रभावी रूप से पहुंचे। यह मार्गदर्शिका बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लौहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी (देबासी) तथा गडरिया (गाडरी), गायरी सहित अति पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' के मूलमंत्र के साथ हम एक ऐसे राजस्थान के निर्माण के लिए संकल्पित हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन मिले। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन अति पिछड़ा वर्ग के समग्र उत्थान में एक प्रभावी और प्रेरक दस्तावेज सिद्ध होगा।

(श्री भजन लाल शर्मा)

सत्यमेव जयते

श्री अविनाश गहलोत मंत्री,
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, राजस्थान

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजस्थान में देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं सम्बन्धी पुस्तिका का प्रकाशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इन योजनाओं से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास द्वारा उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़कर राजस्थान को विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सकेगा।

मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तिका की सामग्री अति पिछड़ा वर्ग में शामिल {1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5.गडरिया (गाडरी), गायरी}, समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाओं की जानकारी में सहायक होगी एवं सभी इसका लाभ उठा सकेंगें।

मैं इस पुस्तिका के प्रकाशन पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसके सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(अविनाश गहलोत)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ
1.	देवनारायण योजना	
	1. परिचय एवं विकास कार्य	5—16
	2. देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना	17—21
2.	200 करोड रूपये के विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य अ. क्षेत्र विकास की योजनाएं	
	1. देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना	21—22
	2. देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना	22
	3. देवनारायण मेडिकल मोबाईल यूनिट योजना	22
	4. छात्राओं हेतु कॉलेज मय हॉस्टल बयाना जिला भरतपुर	23
	5. छात्रों हेतु कॉलेज नादौती जिला करौली	23
	6. 25 केएलडी क्षमता का डेयरी प्लांट खेतडी जिला झुन्झुनूं	23
3.	ब. व्यक्तिगत लाभ की योजनाए	
	1. देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना	23—25
	2. देवनारायण अनुप्रति योजना (मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना)	26—27
	3. देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना	27—29
	4. देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना	29—31
	5. देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना	31—32
	6. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	32—34
	7. देवनारायण गुरूकुल योजना	34—36
	8. ऋण एवं अनुदान संबंधी योजनाएं	36
4.	देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2008—09 से वर्ष 2025—26 तक स्वीकृत छात्रावास	36—41
5.	महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर	42—44

❖ देवनारायण योजनान्तर्गत नवनिर्मित छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के छायाचित्र 45—51

योजना परिचय :-

जस्टिस चौपडा कमेटी की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु देवनारायण योजना वर्ष 2008-09 में 100 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज के रूप में प्रारम्भ की गई। देवनारायण योजनान्तर्गत गुर्जर बाहुल्य पांच जिलों क्रमशः - धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, झालावाड एवं करौली की 13 तहसीलों यथा - धौलपुर की सेपऊ, बाडी, अलवर की थानागाजी, बानसूर, राजगढ, अलवर, सवाई माधोपुर की खण्डार व सवाई माधोपुर, झालावाड की झालरापाटन, अकलेरा, खानपुर, करौली की सपोटरा, नादौती तहसीलों में विकास कार्य सम्बन्धित विभागो के माध्यम से कराने हेतु वर्ष 2008-09 में आरंभ की गई।

वर्ष 2010-11 से देवनारायण योजना संपूर्ण राजस्थान राज्य. में संचालित है। अति पिछडा वर्ग में ख्1 .बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया-लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी, जातियों को शामिल किया गया है।

देवनारायण योजना में वर्ष 2008-09 से माह मार्च 2026 तक देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों पर कुल 2676.67 करोड रूपये का व्यय हो चुका है। वर्ष 2025-26 में 380.51 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक 303.10 करोड रूपये का व्यय किया जा चुका है।

देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान हेतु संचालित योजनाएं :-

- **अति पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना :-** (क्रियान्वित करने वाला विभाग :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अनुरूप वर्ष 2010-11 में राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 से पीएचडी स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई। वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (राशि करोडो मे)	लाभान्वित विद्यार्थी
2010-11	13.01	26419
2011-12	19.37	36764
2012-13	33.64	49912
2013-14	36.87	52785

वर्ष	व्यय (राशि करोडो मे)	लाभान्वित विद्यार्थी
2014-15	59.64	63087
2015-16	50.74	52812
2016-17	56.17	34720
2017-18	66.87	48107
2018-19	72.00	48670
2019-20	78.89	50438
2020-21	88.92	57599
2021-22	87.72	68210
2022-23	134.68	101800
2023-24	88.79	61045
2024-25	102.28	66149
योग	**989.59**	**818517**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 135.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक 110.77 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है तथा 58143 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- **अति पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना :–** (क्रियान्वित करने वाला विभाग :– स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग) अति पिछडा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जा रही प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना की तर्ज पर प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना लागू की गई है। वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	व्यय (राशि करोडो मे)	लाभान्वित विद्यार्थी
2011-12	3.70	70348
2012-13	6.89	104596
2013-14	7.02	120349
2014-15	7.37	131884
2015-16	8.89	134171
2016-17	6.66	108198
2017-18	7.05	100775
2018-19	6.87	80892
2019-20	5.30	66583
2020-21	5.48	64385
2021-22	4.46	53090
2022-23	7.96	105265
2023-24	7.02	79046
2024-25	5.69	74159
योग	**90.36**	**1293741**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक व्यय 6.79 करोड़ रूपये है, तथा 85938 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

- **देवनारायण गुरूकुल योजना (विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना) :-**
  (क्रियान्वित करने वाला विभाग :- स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग)

  देवनारायण गुरूकुल योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू की गई है। अति पिछडा वर्ग के कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत छात्र/छात्रा जो राजस्थान के मूल निवासी हो, जिन्होने राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 5 उत्तीर्ण की हो तथा जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं हो, को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग हेतु देवनारायण गुरूकुल योजना लागू की गयी है। देवनारायण गुरूकुल योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 72 निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय चयनित है।

  छात्र/छात्रा को नियमानुसार गुणात्मक शिक्षा, स्वच्छ आवास एवं बिस्तर, भोजन, पोषाक, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क सुविधाएं विद्यालय द्वारा दी जाती है। योजनान्तर्गत प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 50,000 रूपये अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, का पुनर्भरण किया जाता है। देवनारायण गुरूकुल योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। देवनारायण गुरूकुल योजना की वर्षवार प्रगति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	व्यय (राशि करोडो मे)	लाभान्वित विद्यार्थी
2011-12	0.70	446
2012-13	3.73	1086
2013-14	8.21	1756
2014-15	8.65	1873
2015-16	8.99	1799
2016-17	17.93	3300
2017-18	16.14	4226
2018-19	16.99	3406
2019-20	15.78	3283
2020-21	0.86	175

वर्ष	व्यय (राशि करोडो मे)	लाभान्वित विद्यार्थी
2021-22	10.80	3366
2022-23	24.79	6989
2023-24	12.68	3742
2024-25	10.85	3047
योग	**157.10**	**38494**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक व्यय 13.37 करोड़ रूपये है। वर्ष 2025-26 में लाभार्थी 2680 हैं।

- **देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना :-**

(क्रियान्वित करने वाला विभाग :- कॉलेज शिक्षा विभाग) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु यह योजना वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गई।

राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सै.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयो, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण मे प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची अनुसार वर्ष 2019-20 से प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। प्रतिवर्ष 1500 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1500वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जायेगी। छात्रा के माता पिता/अभिभावक/ संरक्षक/पति की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।

विशेष पिछडा वर्ग की छात्रायें जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है एवं जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है उनके द्वारा 12वीं (सीनियर सेकेण्डरी) (जो छात्रायें स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए है उन्हे क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000/-रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डिग्री प्रवेश वर्ष) में 20,000/- रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000/- रूपये

वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा। वर्षवार प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

वर्ष	स्कूटी वितरण		प्रोत्साहन राशि		योजनान्तर्गत कुल व्यय
	व्यय राशि लाखों में	लाभान्वित छात्राए	व्यय राशि लाखों में	लाभान्वित छात्राए	
2011-12	166.27	500	3.80	28	170.07
2012-13	382.87	1109	9.60	85	392.47
2013-14	466.66	1210	13.30	116	479.96
2014-15	407.38	1000	30.30	283	437.68
2015-16	395.91	1000	104.00	1040	499.91
2016-17	395.57	1008	304.40	2987	699.97
2017-18	408.02	1005	313.10	3050	721.12
2018-19	379.87	1010	197.50	1926	577.37
2019-20	29.07	1486	-	1246	29.07
2020-21	152.22	1475	-	1669	152.22
2021-22	749.75	1454	-	2845	749.75
2022-23	3482.27	2169	-	1685	3482.27
2023-24	0.00	3210	0-00	379	0.00
2024-25	19.00	-	0-00	1761	19.00
योग	**7434.86**	**17636**	**976.00**	**19100**	**8410.86**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65.20 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 35.28 करोड़ का व्यय हो चुका है।

- **छात्रावास सुविधा :-** देवनारायण योजनान्तर्गत कुल 84 छात्रावास स्वीकृत हो चुके है। जिनमें से 71 छात्रावासो के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 06 छात्रावासों (नदबई, पीपलू, चितलवाना, तिजारा, नसीराबाद एवं कठूमर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 07 छात्रावासों (रूदावल, प्रतापनगर, मानसरोवर, निवाई-द्वितीय, उमरैण, लवाण, करेडा) का निर्माण कार्य अभी तक अप्रारम्भ है। वर्तमान में योजनान्तर्गत 78 छात्रावास संचालित हैं। 06 छात्रावास (नदबई, रूदावल, चितलवाना एवं नसीराबाद, लवाण, करेडा) असंचालित है।

  वित्तीय वर्ष 2025-26 में देवनारायण छात्रावासों के संचालन हेतु राशि 1735.60 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 1731.60 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है एवं निर्माण कार्य हेतु राशि 871.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध

माह मार्च 2026 तक व्यय राशि 702.84 लाख रूपये है। छात्रावासों के संचालन एवं निर्माण पर कुल राशि 2606.60 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 2434.64 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है। (निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।)

- **आवासीय विद्यालय :–** देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग बाहुल्य 20 जिलों में 34 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हो चुके है। जिनमें से 23 आवासीय विद्यालय निर्मित भवनों में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में देवनारायण आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राशि 4568.87 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 4286.99 लाख रूपये का व्यय एवं निर्माण कार्य हेतु राशि 4568.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 3275.04 रूपये का व्यय हुआ है। आवासीय विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु कुल राशि 9136.87 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह मार्च 2026 तक कुल राशि 7562.03 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है। आवासीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	देवनारायण आवासीय विद्यालय का नाम, स्थान, स्वीकृत क्षमता	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (राशि लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1	आवासीय विद्यालय (छात्र) चाण्डपुरा (जालोर) (क्षमता–280)	2011–12	967.00	पूर्ण एवं संचालित
2	आवासीय विद्यालय (छात्रा) युसुफपुरा (टोंक) (क्षमता–280)		967.00	पूर्ण एवं संचालित
3	आवासीय विद्यालय (छात्रा) तेलीखेडा सुवाणा (भीलवाडा) (क्षमता–280)		967.00	पूर्ण एवं संचालित
4	आवासीय विद्यालय (छात्र) बालेटा (अलवर) (क्षमता–280)		967.00	पूर्ण एवं संचालित
5	आवासीय विद्यालय (छात्रा) हिण्डौली (बूंदी) (क्षमता–280)		967.00	पूर्ण एवं संचालित

क्र. सं.	देवनारायण आवासीय विद्यालय का नाम, स्थान, स्वीकृत क्षमता	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (राशि लाखों में)	वर्तमान स्थिति
6	आवासीय विद्यालय (छात्रा) मच्छीपुरा, गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) (क्षमता–280)		1208.50	पूर्ण एवं संचालित
7	आवासीय विद्यालय (छात्रा) अमरपुर (महवा), दौसा (क्षमता–280)		967.00	पूर्ण एवं संचालित
8	आवासीय विद्यालय (छात्रा) देवलेन (टोडाभीम) करौली (क्षमता–280)		967.00	पूर्ण एवं संचालित
9	आवासीय विद्यालय (छात्रा) अलापुरी रसेरी (बयाना), भरतपुर (क्षमता–280)		1090.50	पूर्ण एवं संचालित
10	आवासीय विद्यालय ग्राम मकसुदनपुरा देवनारायण मन्दिर परिसर (सवाईमाधोपुर) छात्रा (क्षमता–280)	2015–16	1291.00	पूर्ण एवं संचालित
11	आवासीय विद्यालय देवडूंगरी (पाली) छात्र (क्षमता–280)	2016–17	1291.00	पूर्ण एवं संचालित
12	आवासीय विद्यालय गुडला (करौली) छात्र (क्षमता–280)		1291.00	पूर्ण एवं संचालित
13	आवासीय विद्यालय मेहरडा गुर्जरवास (खेतड़ी) झुन्झुनूं छात्रा (क्षमता–280)	2017–18	1291.00	पूर्ण एवं संचालित
14	आवासीय विद्यालय केकडी (अजमेर) छात्रा (क्षमता–280)		1291.00	पूर्ण एवं संचालित
15	आवासीय विद्यालय टहला (अलवर) छात्रा (क्षमता–280)	2018–19	2763.39	पूर्ण एवं संचालित।

क्र. सं.	देवनारायण आवासीय विद्यालय का नाम, स्थान, स्वीकृत क्षमता	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (राशि लाखों में)	वर्तमान स्थिति
16	आवासीय विद्यालय अंधपुरा सकरघटा (करौली) छात्रा (क्षमता–280)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित
17	आवासीय विद्यालय (ग्राम कोलर) शिवगंज जिला सिरोही (क्षमता 280 छात्रा)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित।
18	आवासीय विद्यालय (ग्राम पीपलोद नारायण) पीपलोद शाहपुरा, जयपुर (क्षमता 280 छात्रा)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित
19	आवासीय विद्यालय चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर (क्षमता 280 छात्रा)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित
20	आवासीय विद्यालय (ग्राम अरनिया घोडा) शाहपुरा, भीलवाड़ा (क्षमता 280 छात्र)	2020–21	2763.39	पूर्ण एवं संचालित।
21	आवासीय विद्यालय पीपर्रा, बयाना जिला भरतपुर (क्षमता 280 छात्र)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित
22	आवासीय विद्यालय (ग्राम पालियावास) रास, जैतारण जिला पाली (क्षमता 280 छात्र)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित
23	आवासीय विद्यालय (ग्राम मसूदा द्वितीय) मसूदा जिला ब्यावर (क्षमता 280 छात्र)		2763.39	पूर्ण एवं संचालित।

क्र. सं.	देवनारायण आवासीय विद्यालय का नाम, स्थान, स्वीकृत क्षमता	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (राशि लाखों में)	वर्तमान स्थिति
24	आवासीय विद्यालय (ग्राम रसिया) नगर जिला डीग (क्षमता 200 छात्र)	2021–22	1510.00	निर्माण कार्य प्रगति पर
25	आवासीय विद्यालय ग्राम झालर बावडी, रावतभाटा (चित्तौडगढ) (क्षमता 280 छात्रा)	2023–24	1895.00	निविदा कार्य प्रक्रियाधीन।
26	आवासीय विद्यालय ग्राम छितोली, विराटनगर (कोटपूतली–बहरोड) (क्षमता 280 छात्रा)	2023–24	1895.00	निर्माणकार्य प्रगति पर
27	देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ (क्षमता 280 छात्रा)	2024–25	1895.00	निविदा कार्य प्रक्रियाधीन।
28	देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, पसोपा (नगर), डीग (क्षमता 280 छात्रा)	2024–25	1895.00	निर्माणकार्य प्रगति पर
29	देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन (क्षमता 280 छात्र)	2024–25	1895.00	निर्माणकार्य प्रगति पर
30	देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, पीसांगन जिला अजमेर (क्षमता 280 छात्रा)	2025–26	1895.00	निर्माणकार्य प्रगति पर
31	देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, नसीराबाद (अजमेर) (क्षमता 280 छात्रा)	2025–26	1895.00	निर्माणकार्य प्रगति पर

क्र. सं.	देवनारायण आवासीय विद्यालय का नाम, स्थान, स्वीकृत क्षमता	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लागत (राशि लाखों में)	वर्तमान स्थिति
32	देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, सुन्दरावली जिला डीग (क्षमता 280 छात्रा)	2025–26	1895.00	निर्माणकार्य प्रगति पर
33	देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, चेचट (कोटा) (क्षमता 280 छात्रा)	2025–26		भूमि आवंटित। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी
34	देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, भिनाय (अजमेर) (क्षमता 280 छात्र)	2026–27		भूमि आवंटित।

- छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास बयाना :— वर्ष 2011–12 में बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास स्वीकृत किया गया है। भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि 1063.69 लाख रूपये की थी जिसके विरूद्ध माह मार्च 2023 तक राशि 1011.45 लाख रूपये का व्यय हो चुका है। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 29.10.2020 को हस्तान्तरित हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय निर्मित भवन में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में महाविद्यालय संचालन हेतु राशि 190.25 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 187.78 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है। (निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा)

- महाविद्यालय नादौती :— वर्ष 2011–12 में नादौती जिला करौली में महाविद्यालय स्वीकृत किया गया है। भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि 892.56 लाख की थी जिसके विरूद्ध माह मार्च 2023 तक राशि 699.00 लाख रूपये का व्यय हो चुका है। दिनांक 05.04.2019 को हैण्डऑवर हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय निर्मित भवन में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में महाविद्यालय संचालन हेतु राशि 110.47 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 92.89 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका हैं। (निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा)

- योजनान्तर्गत करवाये गये अन्य विकास कार्य :— (मार्च 2026 तक)

- वर्ष 2008–09 में देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु राशि 12.54 करोड रूपये की लागत से 1566 हैण्डपम्प स्थापित किये गये।

- आई.टी.आई. केन्द्रों का संचालन :– वर्ष 2008–09 में देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु 100 करोड रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई जिसमें 6 आईटीआई केन्द्रों का संचालन निदेशक, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। मार्च 2026 तक निर्माण एवं संचालन पर 50.85 करोड रूपये का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि 487.64 रूपये लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 443.13 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका हैं।

- 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के भवनों का निर्माण कराया गया, जिनके निर्माण पर राशि 9.23 करोड रूपये का व्यय किया गया, जो वर्तमान में निर्मित भवनों में सचांलित है। आईटीआई निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थान	स्वीकृत ट्रेड्स	निर्माण कार्य पर व्यय (राशि लाखों में)
1	कोटपूतली – बहरोड	बानसूर	इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मैकेनिक, वेल्डर	158.17
2	धौलपुर	सैपऊ	इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मैकेनिक, वेल्डर	162.90
3	करौली	सपोटरा	इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मैकेनिक, वेल्डर	160.96
4	करौली	नादौती	इलेक्ट्रिशियन, फीटर, रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डिशनर, वेल्डर	128.04
5	झालावाड़	झालरापाटन	इलेक्ट्रिशियन, फीटर, मैकेनिक डीजल, वेल्डर	156.43
6	सवाई माधोपुर	खण्डार	इलेक्ट्रिशियन, फीटर, मैकेनिक डीजल, वेल्डर	156.81
	योग			**923.31**

- उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन :– वर्ष 2008–09 में देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु 100 करोड रूपये के

विशेष पैकेज की घोषणा की गई जिसमें स्वीकृत 207 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। मार्च 2026 तक निर्माण एवं संचालन पर 125.51 करोड रूपये का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि 1405.10 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 2026 तक राशि 1382.97 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है। भवन निर्माण हेतु स्वीकृत कुल 152 में से 123 उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

- देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में स्वीकृत राशि 9.95 करोड रूपये की लागत से 600 महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की गई है।

- वर्ष 2008–09 में स्वीकृत 12 नये छात्रावासों के भवनों का निमार्ण राशि 10.76 करोड रूपये की लागत से कराया गया जो निर्मित भवनों में संचालित है।

- निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग में 195 आगं नबाडी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत है जिन पर राशि 7.30 करोड रूपये का व्यय हो चुका है, जिनमें से 163 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- 1.95 करोड की लागत से 4 सैनिक विश्राम गृहों का निमार्ण कार्य करवाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	सैनिक विश्राम गृह का स्थान	व्यय (राशि लाखों में)
1	अलवर	बानसूर	30.00
2	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	60.00
3	झालावाड़	झालरापाटन	60.00
4	अलवर	अलवर	44.40
	योग		194.40

- 20 नवीन प्राथमिक विद्यालयों, 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत, 16 माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्त किये गये विद्यालयों एवं उनमें कक्षा कक्षो के निर्माण एवं संचालन पर माह मार्च 2026 तक राशि 92.13 करोड रूपये का व्यय हो चुका है।

- अति पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना – वर्ष 2010–11 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप अति पिछडा वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] के विद्यार्थियों के लिए अति पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना आरम्भ की गई है।

देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

योजना	देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (POST MATRIC SCHOLARSHIP) योजना। अति पिछड़े वर्ग [1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] के विद्यार्थियों के लिए
प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष	अप्रेल 2010 से प्रभावी
लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	1. छात्र–छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अन्य पिछडा वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी, के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (जिसमें उक्त जातियां अंकित हो) तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। 3. आवेदक के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यार्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2,50,000 रूपये (शब्दो में दो लाख पचास हजार रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। 4. यह छात्रवृति किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों (Post Matriculation or Post Secondary Courses) में

	अध्ययन हेतु देय होगी, लेकिन एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर्स तथा प्राईवेट पायलट लाईसेंस पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण पोत डफरिन (वर्तमान में राजेन्द्रा) पर संचालित पाठ्यक्रमों, सैन्य महाविधालय देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अखिल भारतीय और राज्य स्तर के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रो के पाठ्यक्रमों में यह छात्रवृति नहीं दी जायेगी। 5. नियोजित छात्र जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान वेतन रहित छुट्टी लेकर पूर्ण कालिक छात्र के रूप में अध्ययन करता है वह छात्रवृति के लिए पात्र होगा। 6. एक ही माता–पिता/संरक्षक के सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। 7. इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृति/वृत्तिका नहीं लेंगे, अगर किसी छात्र को कोई दूसरी छात्रवृति/वृत्तिका मिलती है, तो दोनों में से किसी एक लाभकारी विकल्प को चुन सकता हैं, तथा इस सम्बन्ध में अपने संस्थान के अधिकारी के माध्यम से छात्रवृति के स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अपने विकल्प चयन के बारे में सूचित करना होगा। दूसरी छात्रवृति/वृत्तिका स्वीकार करने के दिन से इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृति देय नहीं होगी। तथापि छात्र इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृति के अतिरिक्त राज्य सरकार या अन्य स्त्रोतों से पुस्तके, साधन (Equipment) क्रय, आवास एवं भोजन के व्यय हेतु अनुदान या तदर्थ वित्तीय सहायता के रूप में मदद स्वीकार कर सकता हैं। 8. आवेदन के साथ गत वर्ष की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self attested) प्रति एवं फीस की मूल रसीद संलग्न हो।
आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा	1. राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थानों, निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">2. राजस्थान राज्य के विशेष पिछडे वर्ग के छात्र जो अन्य राज्यों की राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत है, विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित जिले के जिला अधिकारी सान्याअवि द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">मिलने वाली वित्तीय लाभ/सुविधाऐं</td><td colspan="3">1. निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)</td></tr>
<tr><td>पाठ्यक्रमों का समूहीकरण</td><td colspan="2">निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह)</td></tr>
<tr><td>समूह ''1''
1. चिकित्सा शास्त्र (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों), अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, आर्चीटेक्चर, डिजाईन, फैशन टैक्नोलॉजी, कृषि, पशु–चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञानो, प्रंबधन, व्यावसायिक वित्त/प्रशासन तथा कंप्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय (एम.फिल., पी.एच.डी. तथा पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान को सम्मिलित करते हुए) पाठ्यक्रम।
2. वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलीकॉप्टर पायलट तथा मल्टी इंजिन रेटिंग सहित) पाठ्यक्रम।
3. मेनेजमेन्ट एण्ड मेडिशियन की विभिन्न ब्रांचों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
4. सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएस / आईसीएफए इत्यादि
5. एम.फिल. पीएचडी. एण्ड पोस्ट डॉक्ट्रेरल प्रोग्रामस (डी. लिट, डी.एससी इत्यादि)
(a) In existing Group 2 courses
(b) In existing Group 3 courses
6. एल.एल.एम.</td><td>छात्रावासी
1200 रूपये</td><td>डे–स्कॉलर
550 रूपये</td></tr>
</table>

	समूह ''2'' 1. स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फार्मेसी (बी फार्मा), नर्सिंग (बी.एससी नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे रेहाब्लिाईजेशन डाईग्नोस्टिक आदि, मास कम्यूनिकेशन, हॉटल मेनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग, ट्रेवल/ट्यूरिज्म/हॉस्पिटीलिटी मैनेजमेन्ट, इंटिरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाईटेटिक्स, कॉमर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाऐं (जैसे बैंकिंग, बीमा, कर इत्यादि) जिन कोर्सों के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता सीनियर सैकेण्डरी (10+2) है। 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह ''1'' में शामिल नहीं किये गये है जैसे एमए/एमएससी/एमकॉम/ एमएड / एमफार्मा इत्यादि।	820 रूपये	530 रूपये
	समूह ''3'' सभी अन्य स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम जो समूह ''1'' और ''2'' में शामिल नहीं है। जैसे बी.ए./बी.एससी./बीकॉम आदि।	570 रूपये	300 रूपये
	समूह ''4'' ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (कक्षा दस) है, जैसे सीनियर सैकेण्डरी सर्टिफिकेट (कक्षा 11 व 12) सामान्य और व्यावसायिक दोनो पाठ्यक्रम, आई.टी.आई. पाठ्यक्रम, पोलोटैक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इत्यादि।	380 रूपये	230 रूपये

	2. फीस राशि का पुनर्भरण संस्था, विश्वविद्यालय/बोर्ड को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले नांमाकन/पंजीकरण, शिक्षण, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, पत्रिका, चिकित्सा, परीक्षण व इस तरह के अन्य अनिवार्य शुल्क, छात्रों को भुगतान किये जायेगें। तथापि इसमें प्रतिदेय (Refundable) शुल्क जैसे कौशन मनी, शुल्क, सुरक्षा जमा (Security Deposit) शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।	
	नोटः– केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित फीस संरचना के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में निःशुल्क (Free) सीट पर लिये गये अनिवार्य अप्रतिदेय (Non-Refundable) शुल्कों का पुनर्भरण किया जावेंगा	
	पात्र व्यक्तियों का कितने दिन में आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जायेगी।	सामान्यतः सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में।
	यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।	सम्बन्धित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्पर्क करें। प्रभारी अधिकारी : संयुक्त निदेशक (देव.यो.) ई–मेल : dny.sje@rajasthan.gov.in

वर्ष 2011–12 में देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु 200 करोड रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई। विशेष पैकेज में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

(अ) क्षेत्र विकास योजनाएं :–

1. देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना:– राज्य में 41 देवनारायण आदर्श छात्रावास स्वीकृत किये गये।

कार्यकारी विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

औसत ईकाई लागत – 1.00 करोड़ रुपये।

लाभान्वितों की संख्या – कुल 2250 छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

अनुमानित कुल व्यय राशि – 48.00 करोड़ रुपये

41 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जो निर्मित भवनों में संचालित है।

2. देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना :– अति पिछडा वर्ग बाहुल्य क्षेत्रों में राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय योजना की तर्ज पर 09 जिलों में देवनारायण आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये है। जो निर्मित भवनों में संचालित है।

कार्यकारी विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

औसत ईकाई लागत – 9.67 करोड़ रुपये

लाभान्वितों की संख्या – 280 विद्यार्थी प्रति आवासीय विद्यालय

अनुमानित व्यय राशि – 87.00 करोड रूपये

3. देवनारायण मोबाईल हॉस्पिटल योजना :– डांग एवं अति पिछडा वर्ग के बाहुल्य क्षेत्रों की चुनिन्दा तहसीलों में 10 मेडिकल मोबाईल यूनिट स्वीकृत किये गये है। इनका संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

कार्यकारी विभाग – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ईकाई लागत – राशि 55.00 लाख रुपये

अनुमानित व्यय राशि – 5.50 करोड़ रूपये

क्र.सं.	नाम जिला	तहसीलों के नाम
1.	करौली	करौली, सपोटरा, हिण्डौन
2.	सवाईमाधोपुर	खण्डार
3.	झालावाड	मनोहरथाना
4.	धौलपुर	राजाखेडा, बाडी, बसेडी
5.	भरतपुर	रूपवास, बयाना

4. छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास, बयाना:- बयाना जिला भरतपुर में छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास स्वीकृत किया गया है।

कार्यकारी विभाग - उच्च शिक्षा विभाग

अनुमानित लागत राशि - 10.64 करोड, व्यय राशि - 10.11 करोड मार्च 2025 तक

महाविद्यालय का दिनांक 29.10.2020 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हैण्डऑवर लिया जा चुका है। महाविद्यालय निर्मित भवन में संचालित किया जा रहा है।

5. छात्रों हेतु महाविद्यालय, नादौती :- नादौती जिला करौली में छात्रों हेतु महाविद्यालय स्वीकृत किया गया है।

कार्यकारी विभाग - उच्च शिक्षा विभाग

अनुमानित लागत राशि - 8.93 करोड, व्यय राशि - 6.99 करोड मार्च 2025 तक

महाविद्यालय का दिनांक 05.04.2019 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हैण्डऑवर लिया जा चुका है। महाविद्यालय निर्मित भवन में संचालित किया जा रहा है।

6. 25 केएलडी (25000 लीटर डेयरी प्लान्ट) क्षमता का डेयरी प्लांट खेतडी जिला झुन्झुनूं :- वर्ष 2011-12 में देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु 200 करोड रूपये के विशेष पैकेज की घोषणा की गई। खेतडी जिला झुन्झुनूं में 25000 लीटर क्षमता का राशि 6.50 करोड रूपये स्वीकृत किये गये थे। डेयरी प्लांट का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाप्रबंधक (एम एण्ड पी), आरसीडीएफ, जयपुर के पत्रांक 45663-64 दिनांक 09.02.2022 के अनुसार डेयरी प्लांट, खेतड़ी का दिनांक 12.01.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जा चुका है। जिसका संचालन राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, सरस संकुल, जयपुर (आरसीडीएफ) द्वारा किया जा रहा है।

(ब) व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं :-

1. अति पिछडा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना :- अति पिछडा वर्ग के छात्र-छात्रा कक्षा 6 से 10 तक में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयो में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जा रही प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना की

तर्ज पर अति पिछडा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना वर्ष 2011–12 से आरम्भ की गई है।

कार्यकारी विभाग – स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

अनुमानित व्यय राशि – 10.00 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष

योजना का क्षेत्र – सम्पूर्ण राजस्थान

योजना	देवनारायण योजनान्तर्गत अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना।
योजना प्रारम्भ वर्ष	अप्रेल 2011 से प्रभावी
लक्षित समूह	अति पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी।
क्रियान्वयन विभाग	माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन
लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता	1. छात्र–छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। 2. अति पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (जिसमें उक्त जातियां अंकित हो) तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
	3. आवेदक के माता–पिता/संरक्षक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय (अभ्यार्थी की स्वयं की आय को सम्मिलित करते हुए यदि है तो) 2,00,000 रूपये (शब्दो में दो लाख रूपये) तक हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो।

<table>
<tr><td></td><td>4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्त्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।</td></tr>
<tr><td>आवेदन कहां किया जावेगा</td><td>सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के माध्यम से शालादर्पण पोर्टल पर</td></tr>
<tr><td>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</td><td>1. आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो।
2. जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति
3. परीक्षा की अंक तालिका की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति</td></tr>
<tr><td>देय सुविधायें</td><td>पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति निम्नानुसार दर पर देय होगी :–
<table><tr><th>कक्षा</th><th>छात्र/छात्रा</th><th>प्रतिमाह देय राशि (दस माह के लिए)</th></tr><tr><td>6 से 8</td><td>छात्र</td><td>50/– रूपये</td></tr><tr><td></td><td>छात्रा</td><td>100/– रूपये</td></tr><tr><td>9 से 10</td><td>छात्र</td><td>60/– रूपये</td></tr><tr><td></td><td>छात्रा</td><td>120/– रूपये</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।</td><td>उप निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी एवं छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
फोन : 0151–2522238
ई–मेल : dir.dse@rajasthan.gov.in, deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in
वेबसाइट : www.rajshiksha.gov.in</td></tr>
</table>

2. अति पिछडा वर्ग अनुप्रति योजना – वर्ष 2010–11 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार योजना आरम्भ की गई है। संशोधित अनुप्रति योजना नियम 2018 के अनुसार राजस्थान मूल के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग), अन्य पिछडा वर्ग के बीपीएल एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल श्रेणी तथा आर्थिक पिछडा वर्ग (सामान्य वर्ग) के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियो को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई.आई.टी, आई.आई.एम., राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध मेडिकल कॉलेज /राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानो मे प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु योजना आरंभ की गई।

वर्ष 2021–22 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आरम्भ की गई। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत राज्य के युवा अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाकर रोजगारोन्मुख बनाने हेतु समान अवसर प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजनों हेतु सिविल सेवा परीक्षा, आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, उप निरीक्षक, रीट परीक्षा, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल, बैंकिंग/बीमा की विभिन्न परीक्षाएं, रेल्वे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा, सीडीएस/एसएससी, जेईई, नीट, क्लेट, सीए एफसी+सीयूईटी, सीएस इइटी+सीयूईटी, सीएमए एफसी+सीयूईटी इत्यादि की परीक्षाओं की तैयारी हेतु सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के माध्यम से अध्ययन करवाया जाता है।

पात्रता :–

1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

2. अभ्यर्थी अति पिछड़ा वर्ग का हो।

3. अभ्यर्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं है तो माता–पिता/अभिभावक (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) की वार्षिक आय रूपये 8,00,000/– तक हो। 'अथवा' जिन अभ्यर्थियों के माता–पिता/अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक है तो कार्मिक का पै–मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल–11 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्त्रोतों सहित वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रूपये तक हो। 'अथवा' जिन अभ्यर्थियों के माता–पिता/अभिभावक केन्द्र सरकार में राजकीय कार्मिक है तो कार्मिक का पै–मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल–6 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्त्रोतों सहित वार्षिक पारिवारिक आय 8.00 लाख रूपये तक हो।

4. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

5. अभ्यर्थी केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आयोग/बोर्ड/अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत नहीं हो।

आवेदन प्रक्रिया – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

ई–मेल : raj.sje@rajasthan.gov.in

वेबसाइट : https://sje.rajasthan.gov.in

3. देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना :– अति पिछडा वर्ग हेतु प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से आरम्भ की गई। उक्त योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

योजना	राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं व महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने वाले

	छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु।
योजना प्रारम्भ वर्ष	अप्रेल 2011 से प्रभावी।
लाभ प्राप्त करने की पात्रता एवं शर्तें	1. अति पिछडा वर्ग के ऐसे छात्र जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो। आय प्रमाण–पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न करना है। नियोजित माता–पिता/संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी हो। छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होने पर। 3. कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी तथा कक्षा 11वीं में 48 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने के पश्चात् कक्षा 12वीं में राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होने पर। 4. कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने तथा स्नातक के प्रथम वर्ष में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत रहने पर। 5. 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने तथा स्नातक के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अगली कक्षा में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत रहने पर। 6. स्नातक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर। 7. स्नातक प्रथम श्रेणी से उतीर्ण तथा स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में 48 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर। 8. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति अथवा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आवेदन करने वाले विशेष पिछडा वर्ग के छात्र प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना के पात्र नहीं होंगे।

	9. विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि को छात्र– द्वारा स्वप्रमाणित (Self Attested) कर तथा आय प्रमाण पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न कर संस्था प्रधान को 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जायेंगे। 10. यदि छात्र द्वारा शिक्षण संस्था में प्रवेश 30 सितम्बर के बाद लिया जाता है तो प्रवेश की तिथि से एक माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्रोत्साहन राशि	कुल 3500/– रूपये (350/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु या शिक्षण सत्र की अवधि तक जो भी कम हो)
यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजना प्रभारी : संयुक्त निदेशक (देव.यो.) फोन : 0141–2226643 ई–मेल : dny.sje@rajasthan.gov.in

4. **देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना :–** अति पिछडा वर्ग की छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से आरम्भ की गई है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

योजना	राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] की महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राऐ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों व राजकीय विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु
योजना प्रारम्भ वर्ष	अप्रेल 2011 से प्रभावी
लाभ प्राप्त करने की पात्रता एवं शर्तें	1. योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग की उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है और राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हो।

	2. छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। 3. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति अथवा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आवेदन करने वाली विशेष पिछडा वर्ग की छात्राये देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना की पात्र नहीं होगी। 4. विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि को छात्र–छात्रा द्वारा स्वप्रमाणित (Self Attested) कर तथा आय प्रमाण पत्र के स्थान पर आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र सहित मूल ही संलग्न कर संस्था प्रधान को 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जायेंगे। 5. यदि छात्रा द्वारा शिक्षण संस्था में प्रवेश 30 सितम्बर के बाद लिया जाता है तो प्रवेश की तिथि से एक माह के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. संस्था प्रधान द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, पता अंकित करते हुए सूची मय प्रमाणीकरण के आवेदन पत्रों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिलाधिकारी को 30 सितम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों को 10 अक्टूबर तक एवं 30 सितम्बर के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति तिथि के बाद 10 दिवस के अन्दर भिजवायेंगें।
योजना के तहत देय लाभ	1. राजकीय उच्च माध्यमिक कक्षा की छात्राएं – कुल सहायता राशि रुपये 3500/– प्रतिवर्ष (350 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु या शिक्षण सत्र की अवधि तक जो भी कम हो) 2. राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की छात्राएं – कुल सहायता राशि रुपये 5000/– प्रतिवर्ष (500 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु या शिक्षण सत्र की अवधि तक जो भी कम हो)

यदि निर्धारित समय में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है।	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग योजना प्रभारी : संयुक्त निदेशक (देव.यो.) फोन : 0141–2226643 ई–मेल : dny.sje@rajasthan.gov.in

5. **देवनारायण छात्रा साईकिल वितरण योजना :–** अति पिछडा वर्ग की छात्राओं हेतु साईकिल वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू की जा रही है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

I	योजना का उद्देश्य	छात्राओं को आगे अध्ययन जारी रखने हेतु घर से विद्यालय आने–जाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा साईकिले वितरित की जाती है। प्रत्येक छात्रा से 100/– हिस्सा राशि ली जाती है। विशेष पिछडा वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हिस्सा राशि जमा कराने में असमर्थ होने से उनकी हिस्सा राशि विभाग द्वारा वहन की जाएगी ताकि इन छात्राओं को विद्याध्ययन में वाहन सम्बन्धित कठिनाई न हो। इसी उदृश्य से यह योजना कियान्वित की जा रही है।
II	लाभान्वित समूह	ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत विशेष पिछडा वर्ग की छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होती है।
III	लागत का पैटर्न	राशि रू. 100/– प्रति छात्रा
IV	क्रियान्वयन की पद्धति	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा कक्षा 9वीं में अध्ययनरत पात्र छात्राओं की सूचियां संकलित कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग को भिजवाई जायेंगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वीकृति जारी कर संबंधित छात्राओं को हिस्सा राशि का भुगतान संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से किया जाएगा।
V	आउटकम पैरा मीटर एवं मुल्यांकन	कक्षा 9वीं में अति पिछडा वर्ग की छात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी।

VI	क्रियान्वित करने वाले विभाग का नाम	माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रभारी अधिकारी छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर फोन : 0151–2528875 ई–मेल : dir.dse@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.rajshiksha.gov.in

नोट :– वर्तमान में साईकिल का वितरण स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा नि:शुल्क किया जा रहा है।

6. **देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना :–** अति पिछडा वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू की गई है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

I	योजना का उद्देश्य	अति पिछडा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
II	लाभान्वित समूह	1. राजस्थान मूल की अति पिछडा वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होनें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सै.) परीक्षा में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयो, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयो में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण मे प्राप्तांक प्रतिशत की वरीयता सूची अनुसार वर्ष 2019–20 से प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी स्वीकृत कर नि:शुल्क वितरित की जायेगी। प्रतिवर्ष 1500 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1500वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी स्वीकृत कर नि:शुल्क वितरित की जायेगी। छात्रा के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक /पति की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।

		2. अति पिछडा वर्ग की छात्राएं जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है एवं जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है उनके द्वारा 12वीं (सीनीयर सेकेण्डरी) (जो छात्रायें स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए है उन्हे क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000/–रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी.जी. डीग्री प्रवेश वर्ष) में 20,000/– रूपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000/– रूपये वार्षिक बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन उक्त योजना में लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा।
III	लागत का पैटर्न	आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा RTTP एक्ट के अनुसार निविदा आमंत्रित कर लागत का निर्धारण किया जाता है।
IV	क्रियान्वयन की पद्धति	1. अति पिछडा वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाएगा। 2. अति पिछडा वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर एवं स्वयं का फोटो चस्पा कर निर्धारित दस्तावेजो सहित अध्ययनरत महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। 3. प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता, प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (फॉरवर्ड) करेंगे। तत्पश्चात् जिला नोडल अधिकारी समस्त दस्तावेज, वर्णित तथ्यों की जांच एवं सत्यापन पश्चात् आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर में निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन फॉरवर्ड करेंगे।

		4. निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति :– महाविद्यालय में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद, गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण पत्र मूल, राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड एवं इस आशय का शपथ पत्र कि लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति/योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है।
V	आउटकम पैरा मीटर एवं मुल्यांकन	बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने हेतु एवं उच्च शिक्षा हेतु अति पिछडा वर्ग की छात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी।
VI	क्रियान्वित करने वाले विभाग का नाम	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान शिक्षा संकुल, जयपुर ई–मेल : commissioner.cce@rajasthan.gov.in sch.cce@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.hte.rajasthan.gov.in

वर्ष 2022–23 में स्कूटियों की संख्या 1500 से बढाकर 2463 की गई तथा वर्ष 2023–24 से स्कूटियों की संख्या 2463 से बढाकर 3695 एवं वर्ष 2025–26 में 3695 से बढाकर 4240 की जा चुकी है। नोट :– आवेदन प्रक्रिया – आवेदन आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे।

7. **देवनारायण गुरूकुल योजना :–** अति पिछडा वर्ग हेतु देवनारायण गुरूकुल छात्रवृति योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू की गई है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

योजना	देवनारायण गुरूकुल योजना
उद्देश्य	अति पिछडा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलवाकर शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग हेतु उक्त योजना वर्तमान में चल रही ''निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु ''विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना'' के अनुरूप वर्ष 2011–12 से आरम्भ की गई है।
क्षेत्र	उक्त योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।

योजना का लाभ किसको देय है	1. छात्र/छात्रा राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो (विद्यार्थी का स्वयं का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।) 2. छात्र–छात्रा विशेष पिछडा वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी]की हो। 3. माता–पिता के आयकर दाता नहीं होने की स्वघोषणा/प्रमाण पत्र। 4. छात्र–छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में प्रवेशित वर्ष में कक्षा 5 नियमित अध्ययनरत रहते हुए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 5. एक माता–पिता के अधिकतम दो संताने ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर निम्न प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा :– 1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विशेष पिछडा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति)। 2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति)। 3. कक्षा 5 की उत्तीर्ण अंक तालिका की स्वप्रमाणित (Self Attested) छाया प्रति। 4. छात्र/छात्रा द्वारा गत वर्ष में राजस्थान राज्य के विद्यालयों से उत्तीर्ण कक्षा 5 की ऑनलाइन टी.सी/अथवा इसी वर्ष 6 में अध्ययनरत की ऑनलाइन टीसी अभाव में प्रवेश नहीं होगा 5. छात्र–छात्रा का जनाधार कार्ड/आधार कार्ड। 6. माता–पिता के आयकरदाता नहीं होने की स्वघोषणा/प्रमाण पत्र (मूल)। 7. माता–पिता का दो से अधिक संतान योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं होने का स्वघोषणा पत्र।
चयन का आधार एवं शर्तें	1. प्रवेश पूर्व परीक्षा के विषय इस प्रकार है :– 1–हिन्दी, 2–गणित, 3–सामाजिक विज्ञान, 4–विज्ञान, 5–अंग्रेजी। 2. छात्र–छात्रा को विद्यालय आवंटित कर देने/प्रवेश ले लेने के बाद भी पात्रता में किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा तथा गलत तथ्य देकर प्रवेश हेतु प्रयास करने पर छात्र–छात्रा/अभिभावक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

	3. चयनित छात्र–छात्राओं को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये विकल्पों के अनुसार विद्यालय आवंटित किया जाएगा।
सुविधायें	प्रवेश पूर्व परीक्षा में चयनित छात्र–छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों की सूची (72 विद्यालय) में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें फीस का पुनर्भरण चयनित छात्र–छात्रा जिस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे उसके लिए विभाग द्वारा अधिकतम 50,000/– रूपये वार्षिक एवं विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क, जो भी कम हो तक का पुनर्भरण किया जा सकेगा।
विद्यार्थी द्वारा विद्यालयों का चयन	प्रतिष्ठित विद्यालयों का चयन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी सूची के अनुसार होगा।
क्रियान्वित करने वाले विभाग का नाम	माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
क्रियान्वयन अधिकारी	उप निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर फोन : 0151–2528875 ई–मेल : dir.dse@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.rajshiksha.gov.in

8. ऋण एवं अनुदान योजना :–

अनुदान एवं ऋण योजनाऐं	विशेष पिछडा वर्ग हेतु ऋण एवं अनुदान योजनाएं जैसे सामान्य ऋण योजना, न्यू स्वर्णिम ऋण योजना, शिक्षा ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू की गई है।
योजना की क्रियान्वयन ऐजेन्सी	राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर एवं निगम के समस्त जिला कार्यालय
योजना का क्षेत्र	सम्पूर्ण राजस्थान

9. देवनारायण योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2026-27 तक 84 छात्रावास स्वीकृत हो चुके है, स्वीकृत छात्रावासों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क. स.	जिला	छात्रावास का स्थान	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत क्षमता	छात्र / छात्रा	वर्तमान स्थिति
1	धौलपुर	बाडी (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
2	धौलपुर	सैपउ (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
3	करौली	नादौती (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
4	करौली	सपोटरा (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
5	सवाईमाधौपुर	खण्डार (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
6	सवाईमाधौपुर	सवाई माधोपुर (छात्रा)	2008-09	80	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
7	अलवर	थानागाजी (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
8	अलवर	अलवर (छात्रा)	2008-09	40	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
9	अलवर	राजगढ (छात्र)	2008-09	60	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
10	कोटपूतली – बहरोड़	बानसूर (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
11	झालावाड	अकलेरा (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
12	झालावाड	खानपुर (छात्र)	2008-09	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
13	धौलपुर	धौलपुर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
14	डीग	नगर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
15	भरतपुर	भरतपुर (छात्रा)	2011-12	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
16	बून्दी	बून्दी (छात्रा)	2011-12	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
17	बून्दी	हिण्डोली (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित

क. स.	जिला	छात्रावास का स्थान	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत क्षमता	छात्र/ छात्रा	वर्तमान स्थिति
18	बून्दी	नैनवा (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
19	दौसा	दौसा (छात्रा)	2011-12	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
20	दौसा	बांदीकुई (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
21	अलवर	अलवर (छात्राओं हेतु कॉलेज स्तर)	2011-12	75	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
22	कोटपूतली –बहरोड़	विराटनगर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
23	जयपुर	जामडोली जयपुर– I (छात्राओं हेतु कॉलेज स्तर)	2011-12	75	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
24	अजमेर	भिनाय (छात्र)	2011-12	30	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
25	अजमेर	अजमेर (छात्रा)	2011-12	75	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
26	ब्यावर	मसूदा (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
27	चित्तौडगढ	चित्तौडगढ (गाडिया लौहारों हेतु) (छात्र)	2011-12	115	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
28	करौली	करौली (छात्रा)	2011-12	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
29	करौली	हिण्डौन (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
30	करौली	चान्दनग्राम श्री महावीरजी (छात्राओं हेतु कॉलेज स्तर)	2011-12	75	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
31	ब्यावर	जैतारण (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
32	पाली	पाली (छात्र)	2011-12	50	छात्र	छात्रावास भवन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित एवं छात्रावास

क्र. स.	जिला	छात्रावास का स्थान	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत क्षमता	छात्र/ छात्रा	वर्तमान स्थिति
						अन्य छात्रावास में संचलित।
33	पाली	सुमेरपुर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
34	राजसमन्द	राजसमन्द (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
35	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
36	सवाईमाधोपुर	बौंली (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
37	सीकर	नीम का थाना (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
38	टोंक	निवाई (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
39	टोंक	उनियारा(छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
40	उदयपुर	उदयपुर(छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
41	जोधपुर	जोधपुर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
42	भीलवाडा	भीलवाडा (छात्रा)	2011-12	25	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
43	भीलवाडा	आसीन्द(छात्र)	2011-12	75	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
44	जालौर	सांचोर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
45	जालौर	जालौर(छात्रा)	2011-12	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
46	सिरोही	सिरोही (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
47	सिरोही	आबूरोड (छात्रा)	2011-12	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
48	बीकानेर	बीकानेर (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
49	नागौर	मेडता (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
50	झालावाड	झालावाड (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
51	बारां	बारां (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
52	कोटा	कोटा (छात्राओं हेतु कॉलेज स्तर)	2011-12	75	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
53	बाडमेर	चौहटन (छात्र)	2011-12	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित

क्र. स.	जिला	छात्रावास का स्थान	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत क्षमता	छात्र / छात्रा	वर्तमान स्थिति
54	चित्तौडगढ	बेगू (छात्रा)	2015-16	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
55	कोटा	कोटा (छात्रा)	2016-17	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
56	सवाईमाधोपुर	चौथ का बरवाडा (छात्र)	2016-17	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
57	डीडवाना – कुचामन	कुचामन सिटी (छात्र)	2017-18	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
58	कोटा	कोटा (छात्र)	2017-18	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
59	बाडमेर	गुढामलानी (छात्र)	2018-19	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
60	भरतपुर	महाविद्यालय बयाना परिसर (छात्रा)	2011-12	100	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
61	जयपुर	जामडोली जयपुर–II (छात्राओं हेतु कॉलेज स्तर)	2020-21	100	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
62	चित्तौडगढ	रावतभाटा (छात्र)	2020-21	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
63	भरतपुर	नदबई (छात्रा)	2020-21	50	छात्रा	निर्माण कार्य प्रगति पर।
64	भरतपुर	रूदावल (छात्र)	2021-22	50	छात्र	भूमि आवंटित।
65	दौसा	लालसोट (छात्र)	2021-22	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
66	राजसमन्द	नाथद्वारा (छात्र)	2021-22	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
67	चित्तौडगढ	गंगरार (छात्रा)	2021-22	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
68	कोटपूतली –बहरोड़	नारायणपुर (छात्रा)	2021-22	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
69	दौसा	खुरीकलां (छात्र)	2022-23	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित

क्र. स.	जिला	छात्रावास का स्थान	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत क्षमता	छात्र/छात्रा	वर्तमान स्थिति
70	चित्तौडगढ	बेगूं (छात्र)	2022-23	50	छात्र	पूर्ण एवं संचालित
71	दौसा	सिकन्दरा सिकराय (छात्रा)	2022-23	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
72	दौसा	बान्दीकुई (छात्रा)	2022-23	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
73	टोंक	पीपलू (छात्रा)	2022-23	50	छात्रा	निर्माण कार्य प्रगति पर।
74	सवाई माधोपुर	मलारना डूंगर (छात्रा)	2022-23	50	छात्रा	पूर्ण एवं संचालित
75	अलवर	उमरेण (छात्र)	2023-24	50	छात्र	भूमि आवंटित
76	टोंक	निवाई (छात्र)	2023-24	50	छात्र	भूमि आवंटित। एएफएस जारी।
77	जयपुर	प्रताप नगर जयपुर (छात्र)	2023-24	50	छात्र	भूमि आवंटित। विभागीय पत्रांक 47993 दिनांक 18.08.2023 के द्वारा ए.एफ.एस. जारी।
78		मानसरोवर जयपुर (छात्रा)	2023-24	50	छात्रा	
79	जालोर	चितलवाना (छात्र)	2023-24	50	छात्र	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
80	अलवर	कठूमर (छात्रा)	2024-25	50	छात्रा	निर्माण कार्य प्रगति पर।
81	खैरथल –तिजारा	तिजारा (छात्रा)	2024-25	50	छात्रा	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
82	अजमेर	नसीराबाद (छात्रा)	2024-25	50	छात्रा	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
83	दौसा	लवाण (छात्र)	2026-27	50	छात्र	भूमि आवंटित
84	भीलवाडा	करेडा (छात्र)	2026-27	50	छात्र	भूमि आवंटित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

अम्बेडकर भवन, राज. जयपुर महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर

क्र.सं.	नाम मय पद	दूरभाष नम्बर
1	दिनेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव	0141-2227063
2	ललित कुमार, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	0141-2220258
3	पंकज कुमार औझा, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)	0141-2220194
4	जगदीश प्रसाद बैरवा, उप निदेशक (प्रशासन)	0141-2220695
5	अनिल कुमार -II, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)	0141-2226997
6	सूण्डाराम मीणा, अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना)	0141-2226643
7	अरविन्द कुमार सैनी, अतिरिक्त निदेशक (छात्रावास)	9414280256
8	अशोक कुमार जांगिड, अतिरिक्त निदेशक (पिछडी जाति)	9414280256
9	अंजू सिंह, वित्तीय सलाहकार	0141-2220217
10	रामेश्वर लाल परसोया, अतिरिक्त निदेशक (पेंशन)	9887500310
11	रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक विकास)	9928120000
12	सूण्डाराम मीणा, अति. निदेशक (अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण)	9414406083
13	राजकुमार नावरिया, संयुक्त निदेशक (देव.यो.)	0141-2226643
14	अमर सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक आईटी	0141-2226625
15	अपर्णा गुप्ता, उप निदेशक (राईस)	0141-2226611
16	श्रद्धा गौत्तम, उप निदेशक (पिछडी जाति)	0141-2226642
17	गीतेश सैनी, उप निदेशक (एससीएसपी)	9782099816
18	सोनिका कुमावत, उप निदेशक (एससीएसपी)	9785111898
19	सुआलाल मीणा, उप निदेशक (योजना)	9414362620
20	सहायक निदेशक (प्रचार)	0141-2226633
21	अभिषेक गुप्ता, उपनिदेशक (छात्रवृति)	0141-2226629

अजमेर संभाग जिला कार्यालय

1	जयप्रकाश, संयुक्त निदेशक, अजमेर	0145-2623044
2	करतार सिंह मीणा, उप निदेशक, टोंक	01432-254597
3	नूतन कुमार शर्मा, उप निदेशक, भीलवाडा	01482-232678

4	रामदयाल, उप निदेशक, नागौर	01582-240798
5	विशाल सिंह सोलंकी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, ब्यावर	9057585752
6	जयपाल सिंह, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, डीडवाना–कुचामन	9660337251

भरतपुर संभाग जिला कार्यालय

7	श्याम सुन्दर शर्मा, संयुक्त निदेशक, भरतपुर	05644-299177
8	देवेन्द्र सिंह जांगल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, धौलपुर	05842-240878
9	मीना आर्य, उप निदेशक, सवाई माधोपुर	07462-220467
10	बबलू, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, करौली	07464-251076
11	कुलदीप सिंह, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, डीग	8005560688

बीकानेर संभाग जिला कार्यालय

12	लीलाधर पंवार, संयुक्त निदेशक, बीकानेर	0151-2226681
13	विरेन्द्र पाल, उप निदेशक, श्रीगंगानगर	0154-2463582
14	नरेन्द्र सिंह राठौड़, उप निदेशक, चूरू	01562-250943
15	विक्रम सिंह, उप निदेशक, हनुमानगढ	01552-261187

जयपुर संभाग जिला कार्यालय

क्र.सं.	नाम मय पद	फोन (कार्यालय)
16	बी.पी. चन्देल, संयुक्त निदेशक, जयपुर (शहर)	0141-2786442
17	जितेन्द्र कुमार सेठी, उप निदेशक, जयपुर (ग्रामीण)	0141-2700466
18	रामराज मीणा, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, दौसा	01427-223440
19	प्रियंका पारीक, उप निदेशक, सीकर	01572-248940
20	लक्ष्मण सिंह, उप निदेशक, अलवर	0144-2344012
21	पवन कुमार पूनिया, उप निदेशक, झुन्झुनूं	01592-232884
22	विपिन, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड़	7891434971
23	रमेश दहमीवाल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, खैरथल–तिजारा	9460805926

जोधपुर संभाग जिला कार्यालय

24	अनिल व्यास, संयुक्त निदेशक, जोधपुर	0291-233473
25	भवानी सिंह चारण, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जैसलमेर	02992-252517
26	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, उप निदेशक, बाडमेर	02982-230009
27	राजेन्द्र कुमार पुरोहित, उप निदेशक, सिरोही	02972-222544
28	भगवाना राम चौधरी, उप निदेशक, जालौर	02973-222486
29	ज्योति प्रकाश अरोड़ा, उप निदेशक, पाली	02932-222706
30	महेन्द्र सिंह, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बालोतरा	9636235866
31	करणी सिंह नाथावत, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, फलौदी	8619010593

कोटा संभाग जिला कार्यालय

32	सविता कृष्णिया, संयुक्त निदेशक, कोटा	0744-2325491
33	शुभम नागर, उप निदेशक, बारां	07453-237121
34	अर्पित जैन, उप निदेशक, बून्दी	0747-2940127
35	रामनिवास यादव, उप निदेशक, झालावाड	07432-231215

उदयपुर संभाग जिला कार्यालय

36	गिरीश भटनागर, संयुक्त निदेशक, उदयपुर	0294-2410772
37	जितेन्द्र कुमार गढवाल, उप निदेशक, चित्तौडगढ़	01472-241083
38	हेमन्त सैनी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर	02964-232264
39	दीपेन्द्र सिंह शेखावत, उप निदेशक, राजसमन्द	02952-221169
40	सुभाष चन्द्र मणि, उप निदेशक, बांसवाडा	02962-254244
41	तुलसी राम आमेटा, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़	01478-221535
42	ममता जाखड़, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सलूम्बर	9950513078

Devnarayan Yojana E-Mail ID:- dny.sje@rajasthan.gov.in

देवनारायण योजनान्तर्गत नवनिर्मित छात्रावासों के भवनों के छायाचित्र/फोटो

- **देवनारायण बालिका छात्रावास नारायणपुर जिला कोटपूतली-बहरोड़ :-**

- ♦ **देवनारायण बालक छात्रावास खुरीकलां जिला दौसा :-**

- देवनारायण बालिका छात्रावास बान्दीकुई जिला दौसा :-

देवनारायण योजनान्तर्गत नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों के भवनों के छायाचित्र/फोटो

- देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, पीपर्रा जिला भरतपुरः-

* **देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, मसूदा जिला ब्यावर :-**

- देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय, रास (जैतारण) जिला ब्यावरः-

देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास
रावतभाटा (जिला चित्तौड़गढ़) राज.

राजस्थान सरकार
राजकीय देवनारायण कन्या छात्रावास
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नदबई

Devnarayan Yojana E-Mail ID
dny.sje@rajasthan.gov.in